भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 117

उत्तर देने की तारीख: 29.11.2021

कोरोना के दौरान विद्यालय छोड़ने वाले बच्चे

†117. श्री चंद्र शेखर साहू:

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:

श्री राहुल रमेश शेवाले:

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोविड-19 महामारी के कारण देश में विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या दोगुनी होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन या सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2020 और 2021 के दौरान विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या कोविड-19 की पहली लहर के बाद विद्यालय न जाने वाले बच्चों की समस्या एक प्रमुख चिंता का विषय थी;

(ड.) क्या इस तरह के उच्च ड्रॉपआउट का एक प्रमुख कारण इंटरनेट तक पहुंच की कमी या पढ़ने के लिए उचित स्थान का न होना रहा है;

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) क्या सरकार ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का पता लगाने और शिक्षा-व्यवस्था में कमियों को दूर करने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (छ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकार के दायरे में आते हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने ड्रॉप आउट्स, कम नामांकन और अधिगम में होने वाली हानि को रोकने के लिए प्रवासी बच्चों की पहचान, सुचारू प्रवेश प्रक्रिया और निरंतर शिक्षा के लिए 13 जुलाई, 2020 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों को गुणवत्ता और समानता के साथ शिक्षा प्राप्त हो और देश में स्कूल शिक्षा पर महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने 7 जनवरी, 2021 को सभी राज्यों के साथ दिशा-निर्देश साझा किए हैं, जिनमें अन्य के अलावा, स्कूल न जाने वाले 6-18 वर्ष की आयु के बच्चों की पहचान, नामांकन अभियान और जागरूकता पैदा करना, स्कूल बंद होने पर छात्र सहायता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडबल्यूएसएन) के लिए निरंतर शिक्षा, फिर से स्कूल खुलने पर छात्र सहायता और शिक्षकों की क्षमता निर्माण शामिल है।

इसके अलावा, 4 मई 2021 को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक व्यापक कोविड कार्य योजना साझा की गई है, जिसमें स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की पहचान करने, उनको मुख्यधारा में लाने और संसाधनों को साझा करने के लिए स्थानीय निकायों की भूमिका, गाँव/शहर स्तर पर नोडल समूह का गठन, डोर-टू-डोर/हेल्पडेस्क-आधारित/ऐप आधारित सर्वेक्षण का संचालन शामिल है।

इस विभाग ने प्रबंध पोर्टल (http://samagrashiksha.in) पर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा पहचाने गए स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों (ओओएससी) के डेटा को संकलित करने और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) के साथ उनकी मैपिंग के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल भी तैयार किया है। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ओओएससी को मुख्यधारा में लाने की प्रगति की निगरानी के लिए राज्य के संबंधित ब्लॉक संसाधन केंद्र द्वारा पहचान किए गए ओओएससी और एसटीसी की अपलोड की गई बाल-वार जानकारी को मान्य करता है।

एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडाइज+) 2018-19 और 2019-20 के अनुसार, सभी स्तरों पर ड्रॉपआउट दर निम्नानुसार है:

2018-19			2019-20		
प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक
4.5	4.7	17.9	1.5	2.6	16.1

महामारी के दौरान, शिक्षा मंत्रालय ने बच्चों को शिक्षा तक निरंतर पहुंच प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जो छात्रों की प्रत्येक श्रेणी के लिए उनके क्षेत्र या आर्थिक मानक के बावजूद उपलब्ध हैं। पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई है जिसका उद्देश्य शिक्षा के लिए बहु-पद्धति पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करना है। इस पहल में व्यापक पहुंच प्रदान करने के लिए सभी प्रकार के डिजिटल मोड शामिल हैं- जैसे दीक्षा (ऑनलाइन), स्वयम (ऑनलाइन), स्वयम प्रभा (टीवी), दूरदर्शन और आकाशवाणी नेटवर्क के उपयोग सहित अन्य टीवी चैनल। इसके अलावा, डिवाइस के साथ और बिना डिवाइस वाले दोनों बच्चों के लिए कक्षा 1 से 12 तक के

अधिगम समाधान के लिए एक वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर तैयार किया गया है। साथ ही, विभिन्न माध्यमों से सतत शिक्षा की सुविधा के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रज्ञता दिशानिर्देश जारी किए गए थे। दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी स्थिति शामिल है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है या बहुत कम बैंडविड्थ के साथ उपलब्ध है, संसाधनों को टेलीविजन, रेडियो आदि जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से साझा किया जाता है जो इंटरनेट पर निर्भर नहीं हैं।

समग्र शिक्षा योजना के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों (ओओएससी) की संख्या को कम करने के लिए विभिन्न गतिविधियों को करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूलों को खोलना /सुदृढ़ करना, स्कूल भवनों और अतिरिक्त शिक्षण-कक्षों का निर्माण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन और उनका संचालन, आवासीय विद्यालयों/ छात्रावासों की स्थापना, नि:शुल्क वर्दी, नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें, परिवहन भत्ता और नामांकन और रिटेंशन अभियान का आयोजन करना शामिल है। इसके अलावा, स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों के आयु अनुरुप प्रवेश के लिए विशेष प्रशिक्षण और बड़े बच्चों के लिए आवासीय के साथ-साथ गैर-आवासीय प्रशिक्षण, मौसमी छात्रावास/आवासीय शिविर, कार्यस्थल पर विशेष प्रशिक्षण केंद्र, स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में लाने के लिए परिवहन/अनुरक्षण सुविधा भी दी जाती है। साथ ही प्रारंभिक स्तर की शिक्षा के लिए छात्रों को मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए छात्र उन्मुख घटक के तहत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और मूल्यांकन, सहायता और उपकरण, ब्रेल किट और किताबें, उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री और दिव्यांग छात्राओं को वजीफा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही, आरटीई अधिनियम की धारा 10 में कहा गया है कि प्रत्येक माता-पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने यथास्थिति, बालक या प्रतिपालक का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए।

इस योजना के तहत पहली बार वर्ष 2021-22 में सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित 16-19 वर्ष के आयु वर्ग के स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को एनआईओएस/एसआईओएस के माध्यम से उनकी शिक्षा पूरी करने के लिए पाठ्यक्रम सामग्री और प्रमाण तक पहुंचने के लिए 2000 रुपये प्रति वर्ष तक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। साथ ही, राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में उनके ड्रॉप आउट को रोकने और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

*****